सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 25 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. कुंभाराम पुत्र हरदानराम
2. कालूराम पुत्र हरदानराम
3. नारणाराम पुत्र हरदानराम
4. रूखमों पत्नी हरदानराम

जाति जाट निवासी जूनी उन्दरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. अमलूराम पुत्र हरचन्द
2. आसूराम पुत्र हरचन्द
3. एलची पत्नी तेजाराम
4. किशनलाल पुत्र अणदाराम
5. किशनाराम पुत्र जीयाराम
6. गणपतराम पुत्र तेजाराम
7. जोगाराम पुत्र तेजाराम
8. ठाकराराम पुत्र केसराराम
9. धनराज विश्नोई पुत्र साजनराम उर्फ चुन्नीलाल
10. नैनाराम पुत्र जीयाराम
11. पूनमाराम पुत्र जीयाराम
12. पूनमाराम पुत्र सोनाराम
13. बाबूलाल पुत्र अणदाराम
14. बींजाराम पुत्र अणदाराम
15. बींजाराम पुत्र हरचन्दराम
16. भगवानाराम पुत्र रिड़मलराम
17. भंवरलाल पुत्र साजनराम उर्फ चुन्नीलाल
18. भाखरराम पुत्र केसराराम
19. मोहनलाल पुत्र जीयाराम
20. वरींगाराम पुत्र जीयाराम
21. शंकरीदेवी पत्नी छोगाराम
22. हीरादेवी पत्नी सोनाराम
23. हीराराम पुत्र पोकराराम

जाति विश्नोई निवासी जूनी उन्दरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

24. अणसीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
25. विमलादेवी पत्नी भंवराराम
26. सुन्दरदेवी पत्नी राजूराम

जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

.....असल प्रतिवादीगण

27. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
28. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुड़ामालानी
29. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53, 188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 01.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 168 / 3.2537 है0, 293 / 28.5384 है0 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 15 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 15 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर वहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। अतः कब्जा काश्त को मध्यनजर रखते बाई मिटस बाई बाउण्ड खाता पृथक किये जाने पर सहमति प्रदान की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में उभय अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान—ए—बहस वादीगण का खाता पृथक किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 15 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान की। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01.08.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 952 दिनांक 24.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 952 दिनांक 24.11.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 27.09.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 1447—1474 दिनांक 09.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.09.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक 1447—1474 दिनांक 09.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 27.09.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 168 / 3.2537 है0, 293 / 28.5384 है0 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बीकानेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं अ[illegible] प्रा[illegible]दीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। [illegible] संयुक्त आरा[illegible] वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार [illegible] पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार [illegible] वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः हाल सह काष्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 168/3.2537 है0, 293/28.5384 है0 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कालूराम पुत्र हरदानराम हि0 1/4 कुम्भाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/4 नारणाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/4 रूखमोदेवी पत्नी हरदानराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन—नारणाराम का हि0 पंजाब नेशनल बैंक गुड़ामालानी	जूनी उन्दरी	293	7.8663 है0	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 01 रकबा 7.8663 है0				
अणसी देवी पत्नी ओमप्रकाश हि0 1/4 विमलादेवी पत्नी भंवराराम हि0 1/4 सुन्दरदेवी पत्नी राजूराम हि0 1/4 हीराराम पुत्र पोकराराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन—अणसीदेवी, विमलादेवी, सुन्दरदेवी का हिस्सा एस0बी0आई गुड़ामालानी	जूनी उन्दरी	293	7.8663 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.8663 है0				
ठाकराराम पुत्र केसाराम हि0 1/3 भाखराराम पुत्र केसाराम हि0 1/3 शंकरीदेवी पत्नी छोगाराम हि0 1/3 जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	जूनी उन्दरी	168 293	3.2537 है0 4.6126 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 7.8663 है0				
अमलूराम पुत्र रचंदराम हि0 1/18 आसूराम पुत्र हरचंदराम हि0 1/18 एलसी पत्नी तेजाराम हि0 1/54 किशनलाल पुत्र अणदाराम हि0 1/18 किशनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 गणपतराम पुत्र तेजाराम हि0 1/216 जोगाराम पुत्र तेजाराम हि0 1/216 धनराज पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1/12 नैनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 पूनमाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 पूनमाराम पुत्र सोनाराम हि0 1/8 बाबूलाल पुत्र अणदाराम हि0 1/18 बीजाराम पुत्र अणदाराम हि0 1/18 बींजाराम पुत्र हरचंद हि0 1/18 भगवाना पुत्र रिडमल हि0 1/6 भंवरलाल पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1/12 मोहनलाल पुत्र जीयाराम हि0 1/36 वरीगाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 हीरादेवी पत्नी सोना हि0 1/24 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन पूनमा पुत्र सोना का हि0 आरएमजीबी शाखा गुड़ामालानी	जूनी उन्दरी	293	7.8662 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.8662 है0				
अणसीदेवी पत्नी ओमप्रकाश हि0 1/16 अमलूराम पुत्र हरचंद हि0 1/72 आसूराम पुत्र हरचंद हि0 1/72 एलसी पत्नी तेजाराम हि0 1/216 जाति विश्नोई	जूनी उन्दरी	293	0.3270 है0	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

कुंभाराम पुत्र हरदानराम हि0 1 / 16 जाति जाट कालूराम पुत्र हरदानराम हि0 1 / 16 किशनलाल पुत्र अणदाराम हि0 1 / 72 जाति विश्नोई किशनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 जाति विश्नोई गणपतराम पुत्र तेजाराम हि0 1 / 864 जोगाराम पुत्र तेजाराम हि0 1 / 864 ठाकराराम पुत्र केसराराम हि0 1 / 12 धनराज विश्नोई पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1 / 48 नैनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 जाति विश्नोई नारणाराम पुत्र हरदानराम हि0 1 / 16 जाति जाट पूनमाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 जाति विश्नोई पूनमाराम पुत्र सोना हि0 1 / 32 बाबूलाल पुत्र अणदाराम हि0 1 / 72 बीजाराम पुत्र हरचंद हि0 1 / 72 भगवाना पुत्र रिड़मल हि0 1 / 24 भंवरलाल पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1 / 48 भाखराराम पुत्र केसराराम हि0 1 / 12 जाति विश्नोई रूखमों पत्नी हरदानराम हि0 1 / 16 जाति जाट मोहनलाल पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 वरीगाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 विमलादेवी पत्नी भंवराराम हि0 1 / 16 शंकदीदेवी पत्नी छोगाराम हि0 1 / 12 सुन्दरदेवी पत्नी राजूराम हि0 1 / 16 हीरादेवी पत्नी सोना हि0 1 / 96 हीराराम पुत्र पोकराराम हि0 1 / 16 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 0.3270 है0 गैर मुमकिन रास्ता				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करे तथा [illegible] ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 25 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. कुंभाराम पुत्र हरदानराम
2. कालूराम पुत्र हरदानराम
3. नारणाराम पुत्र हरदानराम
4. रूखमों पत्नी हरदानराम

जाति जाट निवासी जूनी उन्दरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. अमलूराम पुत्र हरचन्द
2. आसूराम पुत्र हरचन्द
3. एलची पत्नी तेजाराम
4. किशनलाल पुत्र अणदाराम
5. किशनाराम पुत्र जीयाराम
6. गणपतराम पुत्र तेजाराम
7. जोगाराम पुत्र तेजाराम
8. ठाकराराम पुत्र केसराराम
9. धनराज विश्नोई पुत्र साजनराम उर्फ चुन्नीलाल
10. नैनाराम पुत्र जीयाराम
11. पूनमाराम पुत्र जीयाराम
12. पूनमाराम पुत्र सोनाराम
13. बाबूलाल पुत्र अणदाराम
14. बींजाराम पुत्र अणदाराम
15. बींजाराम पुत्र हरचन्दराम
16. भगवानाराम पुत्र रिड़मलराम
17. भंवरलाल पुत्र साजनराम उर्फ चुन्नीलाल
18. भाखरराम पुत्र केसराराम
19. मोहनलाल पुत्र जीयाराम
20. वरींगाराम पुत्र जीयाराम
21. शंकरीदेवी पत्नी छोगाराम
22. हीरादेवी पत्नी सोनाराम
23. हीराराम पुत्र पोकराराम

जाति विश्नोई निवासी जूनी उन्दरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

24. अणसीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
25. विमलादेवी पत्नी भंवराराम
26. सुन्दरदेवी पत्नी राजूराम

जाति विश्नोई निवासी नई उन्दरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

.....असल प्रतिवादीगण

27. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
28. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुड़ामालानी
29. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53, 188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 168/3.2537 है0, 293/28.5384 है0 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कालूराम पुत्र हरदानराम हि0 1/4 कुम्भाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/4 नारणाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/4 रूखमोदेवी पत्नी हरदानराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन–नारणाराम का हि0 पंजाब नेशनल बैंक गुड़ामालानी	जूनी उन्दरी	293	7.8663 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.8663 है0				
अणसी देवी पत्नी ओमप्रकाश हि0 1/4 विमलादेवी पत्नी भंवराराम हि0 1/4 सुन्दरदेवी पत्नी राजूराम हि0 1/4 हीराराम पुत्र पोकराराम हि0 1/4 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–अणसीदेवी, विमलादेवी, सुन्दरदेवी का हिस्सा एस0बी0आई गुड़ामालानी	जूनी उन्दरी	293	7.8663 है0	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 01 रकबा 7.8663 है0				
ठाकराराम पुत्र केसाराम हि0 1/3 भाखराराम पुत्र केसाराम हि0 1/3 शंकरीदेवी पत्नी छोगाराम हि0 1/3 जाति विश्नोई सा0देह खातेदार	जूनी उन्दरी	168 293	3.2537 है0 4.6126 है0	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 7.8663 है0				
अमलूराम पुत्र रचंदराम हि0 1/18 आसूराम पुत्र हरचंदराम हि0 1/18 एलसी पत्नी तेजाराम हि0 1/54 किशनलाल पुत्र अणदाराम हि0 1/18 किशनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 गणपतराम पुत्र तेजाराम हि0 1/216 जोगाराम पुत्र तेजाराम हि0 1/216 धनराज पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1/12 नैनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 पूनमाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 पूनमाराम पुत्र सोनाराम हि0 1/8 बाबूलाल पुत्र अणदाराम हि0 1/18 बीजाराम पुत्र अणदाराम हि0 1/18 बींजाराम पुत्र हरचंद हि0 1/18 भगवाना पुत्र रिडमल हि0 1/6 भंवरलाल पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1/12 मोहनलाल पुत्र जीयाराम हि0 1/36 वरीगाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/36 हीरादेवी पत्नी सोना हि0 1/24 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन पूनमा पुत्र सोना का हि0 आरएमजीबी शाखा गुड़ामालानी	जूनी उन्दरी	293	7.8662 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.8662 है0				
अणसीदेवी पत्नी ओमप्रकाश हि0 1/16 अमलूराम पुत्र हरचंद हि0 1/72 आसूराम पुत्र हरचंद हि0 1/72 एलसी पत्नी तेजाराम हि0 1/216 जाति विश्नोई कुंभाराम पुत्र हरदानराम हि0 1/16 जाति जाट कालूराम पुत्र हरदानराम हि0 1/16 किशनलाल पुत्र अणदाराम हि0 1/72 जाति विश्नोई किशनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1/144 जाति विश्नोई गणपतराम पुत्र तेजाराम हि0 1/864 जोगाराम पुत्र तेजाराम हि0 1/864	जूनी उन्दरी	293	0.3270 है0	बा0दो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

ठाकराराम पुत्र केसराराम हि0 1 / 12 धनराज विश्नोई पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1 / 48 नैनाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 जाति विश्नोई नारणाराम पुत्र हरदानराम हि0 1 / 16 जाति जाट पूनमाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 जाति विश्नोई पूनमाराम पुत्र सोना हि0 1 / 32 बाबूलाल पुत्र अणदाराम हि0 1 / 72 बीजाराम पुत्र हरचंद हि0 1 / 72 भगवाना पुत्र रिड़मल हि0 1 / 24 भंवरलाल पुत्र साजनराम उर्फ चूनीलाल हि0 1 / 48 भाखराराम पुत्र केसराराम हि0 1 / 12 जाति विश्नोई रूखमों पत्नी हरदानराम हि0 1 / 16 जाति जाट मोहनलाल पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 वरीगाराम पुत्र जीयाराम हि0 1 / 144 विमलादेवी पत्नी भंवराराम हि0 1 / 16 शंकदीदेवी पत्नी छोगाराम हि0 1 / 12 सुन्दरदेवी पत्नी राजूराम हि0 1 / 16 हीरादेवी पत्नी सोना हि0 1 / 96 हीराराम पुत्र पोकराराम हि0 1 / 16 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 0.3270 है0 गैर मुमकिन रास्ता				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested